# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **198/21 (वाद)**

**GCMS No. : 2021/441**

**उनवान**

1. श्री अशोक पिता गंगाराम सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।

............वादी

**बनाम**

1. श्री रामलाल पिता नारायण सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
2. श्री सोहनलाल पिता नारायण सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
3. श्रीमती मांगी पत्नी नारायण सुथार निवासी बासंलिया तहसील मावली।
4. श्री मनोहरलाल पिता वजेलाल सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
5. श्रीमती भमरी पत्नी वजेलाल सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
6. श्री गिरधारी पिता नन्दा सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
7. श्रीमती रूकमणी पत्नी गिरधारी सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता वादी।

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

**दिनांक : 08.09.2025**

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली के आराजी नम्बर 425, 426, 438, 439 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा सम्वत् 2072 से 2075 के राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/6 संयुक्त रूप से हिस्सानुसार अंकित थी। आराजी नम्बर 436, 437, 444, 447, 459 किता 5 कुल रकबा 7 बीघा सम्वत् 2072 से 2075 के राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 1/6 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित थी।

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का ह[illegible] खातेदार द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 न्याय आपके द्वार के [illegible] बांसलिया में आयोजित कैम्प में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested

सहमति विभाजन किया गया है और उपरोक्त बंटवाडे अनुसार परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी के हिस्से में आराजी नम्बर 426 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 439 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से में आराजी नम्बर 438 मी. रकबा 15 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 6, 7 के हिस्से में आराजी नम्बर 425 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1519/438 रकबा 14 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि रही। इसी प्रकार परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि सहमति बंटवाडे अनुसार मुझ वादी के हिस्से में आराजी नम्बर 437 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से में आराजी नम्बर 1518/436/2 रकबा 17 बिस्वा, 444 मी. रकबा 11 बिस्वा, 459 मी. रकबा 3 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 4, 5 के हिस्से में आराजी नम्बर 436 मी. रकबा 17 बिस्वा, 1520/444/1 रकबा 11 बिस्वा, 1522/459/1 रकबा 3 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्से में आराजी नम्बर 1517/436/1 रकबा 15 बिस्वा, 1521/444/2 रकबा 14 बिस्वा, 1523/459/2 रकबा 1 बिस्वा भूमि रही तथा आराजी नम्बर 447 रकबा 5 बिस्वा में मुझ वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 5 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सानुसार सामलाती रखी हैं।

3. यह कि मुझ वादी को वाद पत्र में वर्णितानुसार बंटवाडे में मिली कृषि भूमि को मुझ वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर हस्तान्तरित कर दी गई एवं रेवेन्यु रेकार्ड में पुराने अंकित आराजी नम्बर के सम्बन्ध में शुद्धि की गई जिससे वाद के परिशिष्ट अ, ब में अंकित भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में निम्नानुसार अंकित है :–

परिशिष्ट (1) आराजी नम्बर 1518/436 रकबा 0.1376 हेक्टेयर, 438 रकबा 0.1214 हेक्टेयर, 444 रकबा 0.0890 हेक्टेयर, 459 रकबा 0.0243 हेक्टेयर जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/3 हिस्सानुसार खातेदारी हक से दर्ज हैं।

परिशिष्ट (2) आराजी नम्बर 426 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, 437 रकबा 0.3480 हेक्टेयर, 439 रकबा 0.2023 हेक्टेयर कुल रकबा 0.7203 हेक्टेयर जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chand Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट (3) आराजी नम्बर 1520/444 रकबा 0.0890 हेक्टेयर, 1522/459 रकबा 0.0243 हेक्टेयर, 436 रकबा 0.1376 हेक्टेयर जो प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज हैं।

परिशिष्ट (4) आराजी नम्बर 1517/436 रकबा 0.1214 हेक्टेयर, 1521/444 रकबा 0.1133 हेक्टेयर, 1523/459 रकबा 0.0081 हेक्टेयर जो प्रतिवादी संख्या 6 के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज हैं।

परिशिष्ट (5) आराजी नम्बर 1519/438 रकबा 0.1133 हेक्टेयर, 425 रकबा 0.1700 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.2833 हेक्टेयर जो प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज हैं।

4. यह कि वाद के परिशिष्ट अ में वर्णित कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि जिसमें मुझ वादी का 1/2 हिस्सा था जिसके अनुसार मुझ वादी के हिस्से में 2 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त होनी चाहिए थी तथा परिशिष्ट ब में वर्णित कुल रकबा 7 बीघा कृषि भूमि जिसमें मुझ वादी का 1/2 हिस्सा था जिसके अनुसार मुझ वादी के हिस्से में 3 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त होनी चाहिए थी तथा मैं वादी मौके पर भी अपने इसी हक एवं हिस्सेनुसार निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आया हूं तथा वर्तमान में भी मैं वादी अपने परिवार सहित अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा हूं लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने मुझ वादी को नुकसान पहुंचाने एवं मेरी कृषि भूमि को नाजायज तरीके से हथियाने की गरज से छल कपट करते हुए राजस्व अधिकारियों से साठ गाठ करते हुए परिशिष्ट अ में 2 बीघा 8 बिस्वा के बजाय 2 बीघा 6 बिस्वा तथा परिशिष्ट ब में 3 बीघा 10 बिस्वा के बजाय 2 बीघा 7½ बिस्वा करीब जमीन ही मुझ वादी के हिस्से में अंकित कराते हुए मेरे हिस्से की करीब 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि को अनाधिकार रूप से अपने नाम पर सहमति बंटवाडे की आड में अंकित करवा दी जो वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में (परिशिष्ट 1 से 5 में अंकितानुसार) इनके नाम पर अंकित चली आ रही है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा सहमति बंटवाडे की आड [illegible] के हिस्से से ज्यादा कराया गया रद्दोबदल मेरे मुकाबले शून्य होकर निष्प्र[illegible] है। मैं वादी आज भी अपने हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested

कब्जे में से भूमि विक्रय करने के पश्चात् शेष रही 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर मौके पर काबिज हुं और उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं इसलिए मैं वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम मेरे हिस्से की दर्ज 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि को अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी हूं इसलिए उक्त वाद पत्र प्रस्तुत हैं।

5. यह कि मुझ वादी के हक हिस्से की 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम पर दर्ज होने से वह उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है और भूमाफियां भी केवल रेकार्ड को देखकर ही रजिस्ट्री कराने पर तुले हुवे है और प्रतिवादीगण के मन में भी लोभ और लालच की भावना जागृत हो गयी है और वे मेरे हिस्सें एवं कब्जे काश्त की जमीन को दूसरे लोगों को बेचने पर आमादा है जबकि न तो मेरे हक हिस्से की जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का कब्जा है और न ही ऐसा करने का इनको कोई हक व अधिकार ही हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हू कि परिशिष्ट 1 से 5 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अपने नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, मुझ वादी को मेरे हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, कब्जा नहीं करे, बेदखल नहीं करे, मेरे शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

6. यह कि मुझ वादी का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद पत्र के परिशिष्ट अ में मुझ वादी के हिस्से में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि एवं परिशिष्ट ब मुझ वादी के हिस्से में 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि है जिसका स्पष्ट रूप से अंकन रेवेन्यु रेकार्ड में भी है और मौके पर भी मैं वादी निर्बाध रूप से काबिल चला आया हूं तथा मेरे द्वारा अपने हक हिस्से में से भूमि विक्रय करने के पश्चात् शेष बची भूमि पर आज भी मैं वादी अपने परिवार सहित काबिज हो काश्त कर रहा हूं जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और न ही वर्तमान में हैं। ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का स्वत्व अधिकार नहीं हैं। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested

वादी को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मेरे पक्ष में हैं।

7. यह कि वाद कारण दिनांक 08.10.2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने मेरे हक हिस्से की जमीन (जो उन्होनें गलत तरीके से अपने नाम अंकित कराई है) को अन्य व्यक्ति को बेचने एवं मुझ वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी दी और मेरे कहने पर भी मेरे खाते कराने से इन्कार हो गये। इसलिए उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के परिशिष्ट 1 से 5 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज भूमि में मुझ वादी को मेरे हिस्से एवं कब्जे की 1 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि का खातेदार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार मेरा नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के परिशिष्ट 1 से 5 में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज भूमि में मेरे कब्जे काश्त की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 से 7 मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, बेदखल नहीं करे, न कब्जा करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। जवाब पेश नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रहती हैं। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादी अशोक पिता गंगाराम सुथार का पेश किया। प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री अशोक पिता गंगाराम द्वारा दस्तावेज मौजा बांसलिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 47 प्रदर्श 1, खाता संख्या 7 प्रदर्श 2, खाता संख्या 140 प्रदर्श 3, खाता संख्या 48 प्रदर्श 4, खाता संख्या 194 प्रदर्श 5, मौजा बांसलिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 6,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested

मौजा बासंलिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 प्रदर्श 7, राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 कैम्प बांसलिया में सहमति बंटवाडा आदेश 157/11.06.2018 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 8, राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 कैम्प बासंलिया में सहमति बंटवाडा आदेश 158/11.06.18 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 9, मौजा बांसलिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता संख्या 4 प्रदर्श 10, मौजा बांसलिया के नामान्तरकरण संख्या 723 की नकल प्रदर्श 11, नामान्तरकरण संख्या 725 की नकल प्रदर्श 12 करवाये गये।

9. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस दावा सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 6 ग्राम डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2072–74 के खाता संख्या 6 पर दर्ज वादग्रस्त आराजी नम्बर 425, 426, 438, 439 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि एवं खाता संख्या 7 पर दर्ज आराजी नम्बर 436, 437, 444, 447, 459 किता 5 कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सहखातेदारी हक से हिस्सेनुसार दर्ज रिकॉर्ड थी। प्रदर्श 8 एवं 9 के अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान वादीगण एवं प्रतिवादीगण अर्थात उक्त वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारो द्वारा स्वयं उपस्थित होकर सहमति विभाजन कराने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार मावली द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं द्वारा चाहे गए बंटवाड़े अनुसार सहमति विभाजन को स्वीकार करते हुए अपने कार्यालय के पत्रांक क्रमांक 157, 158 दिनांक 11.06.2018 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु आदेशित किया गया। जिसकी पालना में राजस्व कर्मचारियो द्वारा नामान्तरकरण संख्या 723, 725 दिनांक 29.06.2018 पारित कर राजस्व रिकॉर्ड में सभी सहखातेदारो की भूमि को विभाजित करते हुए पृथक–पृथक दर्ज की गई। उक्त दोनो खातो के सहमति विभाजन के आवेदन प्रदर्श 8 एवं 9 पृथक–पृथक प्रस्तुत किए गए थे। उक्त दोनो आवेदन पर वादी स्वयं के ह[illegible] है। [illegible] एवं अन्य सहखातेदारो द्वारा वादग्रस्त भूमि का बंटवा[illegible] के [illegible] प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Giri
Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested

था, जिसके अनुसार ही तहसीलदार द्वारा विभाजन किया गया था। अर्थात स्वयं वादी द्वारा बंटवाड़ा स्वीकार करने के पश्चात पुनः न्यायालय हाजा में 3 वर्ष बाद वाद प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है, जो कि न्यायोचित नही है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा सहमति विभाजन में वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार करने के पश्चात उक्त वाद को प्रस्तुत करना वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित है। विलेख द्वारा विबंधन के सिद्वान्त में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा निष्पादित विलेख में वर्णित किसी तथ्य की सत्यता से इनकार करने से रोकता है। इस प्रकरण में भी वादी स्वयं द्वारा सहमति विभाजन स्वीकार कर लिया गया था। उसी हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज हो गई। उसके पश्चात यह कथन करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है कि उसको सहमति विभाजन में भूमि कम दी गई है। ऐसे में वाद वादी वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत खारिज योग्य है। साथ ही न्यायालय का यह भी मानना है कि वादी के नाम वादग्रस्त भूमि सहमति बंटवाड़े दर्ज हुई है। यदि वादी को सहमति बंटवाड़े पर आपत्ति है तो उसकी सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। क्योंकि सहमति विभाजन के विरूद्ध जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही दी जा सकती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

## —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

# डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली**

**बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.**

**उनवान्**

1. श्री अशोक पिता गंगाराम सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।

.....वादी

**बनाम**

1. श्री रामलाल पिता नारायण सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
2. श्री सोहनलाल पिता नारायण सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
3. श्रीमती मांगी पत्नी नारायण सुथार निवासी बासंलिया तहसील मावली।
4. श्री मनोहरलाल पिता वजेलाल सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
5. श्रीमती भमरी पत्नी वजेलाल सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
6. श्री गिरधारी पिता नन्दा सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
7. श्रीमती रूकमणी पत्नी गिरधारी सुथार निवासी बांसलिया तहसील मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## मुकदमा न0 : 198/21 (वाद) GCMS No. – 2021/441

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.09.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested